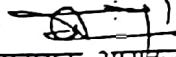


परिशिष्ट 18/3/2025

1

विधानसभा अतारांकित प्रश्नों क्रमांक 2114 का परिशिष्ट "अ"			
क्रमांक	जिला	आयोजित बैठक का विवरण	टिप्पणी
1	बड़वानी	जिला स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 16-12-2024 को कुल 155 सामुदायिक दावों पर मान्य की अनुशंसा की गई, तथा प्रति सप्ताह आयोजित होने वाली टी.एल. बैठक में सामुदायिक वन अधिकार पत्रों के संबंध में बैठके आयोजित की गई है।	


सहायक आयुक्त

जनजातीय कार्य विभाग जिला बड़वानी


अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
जनजातीय कार्य विभाग

(2)

कार्यालय कलेक्टर (जनजातीय कार्य विभाग) जिला बड़वानी म०प्र०

क्रमांक / 7243 / जनजातीय / वन.अधि. / 2024
प्रति,

बड़वानी, दिनांक 11.11.2024

- 1- अनुविभागीय अधिकारी,
(राजस्व) बड़वानी / राजपुर / सेंधवा / पानसेमल
- 2- अनुविभागीय अधिकारी,
(वन) बड़वानी / राजपुर / सेंधवा / पानसेमल
- 3- मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जनपद पंचायत बड़वानी / पाटी / ठीकरी / राजपुर / सेंधवा / निवाली / पानसेमल

विषय :- वन अधिकार अधिनियम 2006 की धारा-3 (1)(i) में उल्लेखित सामुदायिक वनों के संसाधन, संरक्षण एवं प्रबंधन के अधिकार ग्राम सभाओं को सौंपने बाबत।

संदर्भ :- 1- मध्यप्रदेश शासन, जनजातीय कार्य विभाग मंत्रालय भोपाल का पत्र क्रमांक / 895 / 2337936 / 2024 / 25-3 भोपाल दिनांक 30 अक्टूबर 2024

-000-

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा वन अधिकार अधिनियम 2006 की धारा-3 (1)(i) में निम्नानुसार सामुदायिक अधिकार ग्राम सभाओं को दिये जाने के प्रावधान है :-

“ ऐसे किसी सामुदायिक वन संसाधन का संरक्षण, पुनरुज्जीवित या संरक्षित या प्रबंधन करने का अधिकार, जिसकी वे सतत उपयोग के लिये परम्परागत रूप से संरक्षा और संरक्षण कर रहे हैं” (Right to protect, regenerate or conserve or manage any community forest resource which they have been traditional or customary law of the concerned tribes of any state) ।

2- मध्यप्रदेश असाधारण राजपत्र, दिनांक 15 नवम्बर 2022 में प्रकाशित मध्यप्रदेश पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) नियम, 2022 के अध्याय-9 नियम-27 में भी सामुदायिक वनों के संरक्षण एवं प्रबंधन के अधिकार ग्रामसभाओं को दिये जाने हैं। वन अधिकार अधिनियम, 2006 की धारा-3 (1)(i) के प्रावधान अनुसार सामुदायिक वन संसाधनों के संरक्षण एवं प्रबंधन के अधिकारों के दावें तैयार कर यह अधिकार ग्राम सभाओं को दिया जाना है। दावा फार्म पत्र के संलग्न है।

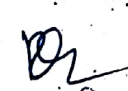
3- भारत सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिये गये निर्देशानुसार वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत FRA Action Plan, FRA potential area map एवं FRA Atlas तैयार किया गया है। FRA Atlas के अनुसार प्रदेश के कुल 25461 ग्राम FRA potential ग्राम हैं, जिनमें से 5018 ऐसे राजस्व ग्राम हैं, जिनकी सीमाओं के भीतर छोटे-बड़े झाड़ के जंगल हैं। 13709 ऐसे ग्राम हैं, जिनकी सीमा से जंगल लगे हैं, तथा इन ग्रामों के भीतर भी छोटे-बड़े झाड़ के जंगल हैं। 5716 ऐसे ग्राम हैं, जिनकी सीमा से लगे जंगल हैं, जिनकी सूचियां पत्र के साथ संलग्न हैं। इन सभी ग्रामों में सामुदायिक वन अधिकार के दावें होने की संभावना है। सामुदायिक वन संसाधनों के संरक्षण एवं प्रबंधन के अधिकारों को मान्यता दिये जाने की कार्यवाही के लिये जिले के पेसा मोबालाईजर एवं जन अभियान परिषद आदि का भी सहयोग लिया जा सकता है।

4- अतः वन अधिकार अधिनियम 2006 के नियम -3 (1)(i) में दिये गये सामुदायिक वन संसाधन का संरक्षण, पुनरुज्जीवित या संरक्षित या प्रबंधन करने के अधिकार, जिसकी वे सतत उपयोग के लिये परम्परागत रूप से संरक्षा और संरक्षण कर रहे हैं, ग्रामसभाओं को सौंपने हेतु सामुदायिक वन अधिकार दावा दिये जाने की कार्यवाही करने का कष्ट करें।

इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दें।

संलग्न :- संदर्भित पत्र की छायाप्रति


सहायक आयुक्त,
जनजातीय कार्य विभाग
जिला बड़वानी म.प्र.

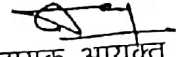

अपर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
जनजातीय कार्य विभाग

(3)

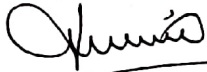
पृ०कमांक/७२५३/जनजातीय/ वन.अधि./२०२४
प्रतिलिपि :-

बड़वानी, दिनांक ११.११.२०२४

- १- अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन वन विभाग भोपाल।
- २- प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन जनजातीय कार्य विभाग मंत्रालय भोपाल।
- ३- संचालक, जनजातीय क्षेत्रीय विकास योजनाएं म.प्र. भोपाल।
- ४- कलेक्टर, जिला बड़वानी।
- ५- वन मंडलाधिकारी (सामान्य) वन मंडल सेंधवा/बड़वानी।
- ६- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत बड़वानी।


सहायक आयुक्त,
जनजातीय कार्य विभाग
जिला बड़वानी म.प्र.

शमोड ०१ से ०३ तक


सहायक आयुक्त
जनजातीय क्षेत्रीय विकास योजनाएं
सतपुरा म.प्र. भोपाल


अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
जनजातीय कार्य विभाग